भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 434

मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

434. **श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राप्त कुल एफडीआई प्रवाह की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को सुकर बनाने में इन्वेस्ट इंडिया के योगदान का ब्यौरा क्या है:

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इन्वेस्ट इंडिया द्वारा सुकर बनाए गए एफडीआई का ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल-सितंबर 2024) के पहले छह महीनों के दौरान इन्वेस्ट इंडिया द्वारा सुकर बनाए गए एफडीआई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इन्वेस्ट इंडिया द्वारा प्रदान की गई निवेश सुकरता की वास्तविक एफडीआई प्रवाह में वास्तविक रूपांतरण दर का मूल्यांकन करने संबंधी डाटा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधाप्रदाता एजेंसी, इन्वेस्ट इंडिया का गठन वर्ष 2009 में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका गठन पूर्ववर्ती औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की 49 प्रतिशत इक्विटी और फिक्की की 51 प्रतिशत शेयरधारिता से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत किया गया था। इन्वेस्ट इंडिया की वर्तमान शेयरधारिता के अनुसार उद्योग संघों की 51 प्रतिशत (अर्थात फिक्की, सीआईआई और नैसकॉम प्रत्येक की 17 प्रतिशत) और भारत सरकार की 49 प्रतिशत शेयरधारिता है। आज की तारीख के अनुसार, डीपीआईआईटी की 36 प्रतिशत और 26 राज्य सरकारों (प्रत्येक राज्य का 0.5 प्रतिशत) की 13 प्रतिशत शेयरधारिता है।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, शेयरों से धारा 8 के अंतर्गत कंपनी लिमिटेड के रूप में गठित इस संगठन का व्यापक दृष्टिकोण भारत के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना है। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना का उद्देश्य, भारत में रूचि दर्शाने वाले सभी निवेशकों के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करना तथा एक ही स्थान पर सभी राज्यों के बारे में कर की दरों, कौशल उपलब्धता और राज्यों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों जैसे मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराना है। यह संगठन प्रचार-प्रसार का कार्य भी करता है तथा महानगरों के बाहर विशेष रूप से वैश्विक निवेशक जागरूकता के विस्तार से निवेश आकर्षित करता है।

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के उद्देश्य से निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है, जिसके तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खुले हैं। स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत लगभग 90 प्रतिशत एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त होता

है। भारत ने एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर, विनियामक बाधाओं को हटाकर, अवसंरचना का विकास और व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके, वैश्विक निवेशकों हेतु अपनी अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

(ख) और (ग) : इन्वेस्ट इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 में, कुल 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संभावित निवेश वाली परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की, जिसमें से 2.025 बिलियन अमेरिकी डॉलर का श्रेय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जाता है। यह निवेश भारत के 10 राज्यों में होगा, जिसमें 18 विदेशी कंपनियां शामिल हैं, जो वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2024) के दौरान कुल एफडीआई 42.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है, जिसमें 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह शामिल है। इसी अवधि के दौरान, इन्वेस्ट इंडिया ने सात प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् ऑटोमोटिव, आईटी-बीपीएम, रसायन और उर्वरक, चिकित्सा उपकरण, शिक्षा, खेल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) से जुड़ी 9 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की, जिसमें अनुमानित एफडीआई अंतर्वाह 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है (कंपनी घोषणाओं के आधार पर)। यह निवेश छह देशों अर्थात् जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, युनाइटेड किंगडम, स्पेन और न्यूजीलैंड से प्राप्त हुआ है। लगभग 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के औसत परियोजना आकार के साथ, निवेश भारत की आर्थिक क्षमता में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बने रहने को दर्शाते हैं।

(घ) और (ङ) : एफडीआई अंतर्वाह केवल तभी दर्ज किया जाता है जब वास्तविक निधि हस्तांतरित की जाती है। निवेश के संबंध में प्रदान किए गए आंकड़े कंपनी की घोषणाओं पर आधारित हैं और कई वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान प्राप्ति के अध्यधीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल वास्तविक निवेश को ट्रैक करते हैं।

*****